

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर।

क्रमांक एफ 1 (A) IV(01527) स्था./राईस/साक्षात्कार/2016

जयपुर, दिनांक यथा ई-हस्ताक्षरित

विज्ञापित

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों को शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापकों (2nd ग्रेड) एवं अध्यापक लेवल-2 (तृतीय क्षेत्रीय अध्यापक), पुस्तकालयाध्यक्ष-III, शारीरिक शिक्षक-II, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला सेवक के पदों को साक्षात्कार से भरे जाने हेतु आवासीय विद्यालयों का दिनांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

प्रधानाचार्य पद हेतु

दिनांक	27.05.2025	28.05.2025
आवासीय विद्यालय का नाम	सागवाडा (डूंगरपुर), वजीरपुरा (टोंक), युसुफपुरा (टोंक), मच्छीपुरा (सवाई माधोपुर), अमरपुर (दौसा), अलापुरी (भरतपुर), मकसूदनपुरा (सवाई माधोपुर), देवडूंगरी (पाली), शिवगंज (सिरोही), शाहपुरा (भीलवाडा), टहला (अलवर), मसूदा (ब्यावर), जैतेश्वर धाम (बालोतरा) पिण्डवाडा (सिरोही), सुमेरपुर (पाली)	आटुण (भीलवाडा), अटरू (बारां), बगडी (दौसा), बालेटा (अलवर) हिंगी (कोटा), छाण (सवाई माधोपुर), चाण्डपुरा (जालौर), धनवाडा (झालावाड), हिण्डौली (बूंदी), केनपुरा (पाली), खोडन (बांसवाडा), मण्डोर (जोधपुर), पावटा (डीडवाना-कुचामन), चौथ का बरवाडा (सवाई माधोपुर), कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापकों (2nd ग्रेड) एवं अध्यापक लेवल-2 (तृतीय क्षेत्रीय अध्यापक), पुस्तकालयाध्यक्ष-III, शारीरिक शिक्षक-II, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला सेवक पद हेतु

दिनांक	02.06.2025	03.06.2025	04.06.2025	05.06.2025	06.06.2025
आवासीय विद्यालय का नाम	आटुण (भीलवाडा) अमरपुर (दौसा) अलापुरी (भरतपुर) हिण्डौली (बूंदी) गुडला (करौली) मच्छीपुरा (स. मा.) पिपलोद (जयपुर) टहला (अलवर) कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)	बगडी (दौसा) तेलीखेडा (भीलवाडा) अटरू (बारां) युसुफपुरा (टोंक) जैतेश्वरधाम (बाडमेर) मकसूदनपुरा (स.मा.) केकडी (अजमेर) शाहपुरा (भीलवाडा) सुमेरपुर (पाली) पिण्डवाडा (सिरोही)	छाण (स.माधोपुर), चाण्डपुरा (जालौर) देवडूंगरी (पाली), देवलन (करौली), धनवाडा (झालावाड), अन्धपुरा (करौली) मेहाडा गुर्जरवास (झुन्झुनू) पावटा (डीडवाना-कुचामन)	हरियाली (जालौर), चौथ का बरवाडा (स.माधोपुर) मण्डाना (कोटा) मंडोर (जोधपुर) जैसिन्धर स्टेशन बालिका (बाडमेर) जैसिन्धर स्टेशन बालक (बाडमेर) वजीरपुरा (टोंक) शिवगंज (सिरोही)	मसूदा (ब्यावर) बालेटा (अलवर) केनपुरा (पाली) हिंगी (कोटा) खेडाआसपुर (डूंगरपुर), खोडन (बांसवाडा), सागवाडा (डूंगरपुर) भैंसवाडा (जालौर)

पात्र कार्मिक अपना आवेदन पत्र व्यक्तिशः/डाक के माध्यम से दिनांक 20.05.2025 तक निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर के राईस प्रशाखा कमरा नं. 411 में जमा कराना/भिजवाना सुनिश्चित करें।

केवल राजस्थान सरकार के प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप, विवरण, विदेश, रिक्त पदों का विवरण एवं अन्य शर्तें विभाग की वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर डोउनलोड किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी (Clarifications) हेतु फोन नं. 0141-2226666 पर कृपया 08:00 से सायंकाल 6:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।



Signature valid
Digitally signed by **Bac Anesh**
Designation : **Director**
Date: 2025.05.10 18:06:58 IST
Reason: Approved

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान जयपुर

आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

रजि.नं.....(कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदित आवासीय विद्यालय का नाम
प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदित पद
विषय.....

Recent
Photo
paste here

1. कार्मिक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. मूल पद एवं विषय
4. जन्म तिथि
5. गृह जिला
6. एम्पलॉय आई. डी.....
7. पे लेवल
8. आवेदक का वर्तमान पता
9. शिक्षा निदेशालय का नाम यथा —माध्यमिक/प्रारंभिक.....
10. प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं स्थान
11. वर्तमान पदस्थापन स्थान
12. वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण दिनांक
13. कुल सेवा अवधि
14. कुल सेवा अवधि में प्रतिनियुक्ति कार्यकाल/वर्ष (यदि हो तो)
15. अध्यापक लेवल-2 की प्रतिबंधित जिले में नियुक्ति दिनांक एवं जिले का नाम
16. मोबाईल नं. (1) (2)
17. शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.स.	परीक्षा का नाम	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी	संलग्नक संख्या
1	सैकण्डरी/समकक्ष			
2	हायर/सीनियर सैकण्डरी			
3	स्नातक			
4	स्नातकोत्तर			
5	बी.एड.			

18. अन्य अकादमिक योग्यता:-

क्र.स.	अकादमिक योग्यता का नाम	विश्व विद्यालय जंहा से डिग्री प्राप्त की है	संलग्नक संख्या
1	Ph. D degree		
2	M.Phil degree		

19. अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में विशेष योग्यता:-

स्तर	अकादमिक	सामाजिक	सांस्कृतिक व अन्य	संलग्नक संख्या
राष्ट्रीय				
राज्य				
जिला				

20. आवासीय विद्यालय में अनुभव (यदि हो तो):-

क्र. स.	पद	पे लेवल	पदस्थापित आवासीय विद्यालय	अवधि		संलग्नक संख्या
				कब से	कब तक	

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई समस्त सूचना/जानकारी सही है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में कोई असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक :-

कार्मिक के हस्ताक्षर

नाम

पद

पदस्थापित स्थान.....

वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पदपदस्थापन स्थान

की प्रतिनियुक्ति आवासीय विद्यालय में की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
मय सील

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेंसियल एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)

आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु साक्षात्कार हेतु आवेदनकर्ताओं के लिए पात्रता/दिशा निर्देश

क्र.सं.	पद नाम	पात्रता
1	प्रधानाचार्य	राजकीय सी.सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाचार्य मूल पद
2	व्याख्याता	सम्बन्धित विषय में व्याख्याता
3	वरि.अध्यापक ग्रेड-1	संबंधित विषय में वरिष्ठ अध्यापक
4	अध्यापक ले-2	STC अथवा बी.एड तथा राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक जिन्हें अध्यापक लेवल-2 के पद पर न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो।
5	शारीरिक शिक्षक-1	राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कार्यरत जिन्हें द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो।
6	पुस्तकालयध्यक्ष-1	पुस्तकालयध्यक्ष मूल पद
7	प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक मूल पद
8	प्रयोगशाला सेवक	प्रयोगशाला सेवक मूल पद

दिशा निर्देश:-

- प्रतिनियुक्ति के इच्छुक कार्मिकों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। केवल राजस्थान सरकार के प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति हेतु साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।
- आवेदन प्रारूप विभाग की वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर डाउनलोड किया जाकर स्पष्ट अक्षरों में भर कर समस्त दस्तावेजों की फोटो प्रति स्वयं सत्यापित संलग्न कर निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर के राईस प्रशाखा कमरा नं. 411 में दिनांक 20.05.2025 तक जमा कराना सुनिश्चित करें।
- दिनांक 20.05.2025 के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- प्रतिनियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में 80 अंक शैक्षणिक योग्यता एवं 20 अंक साक्षात्कार के होंगे।
- ऐसे कार्मिक जिनके पूर्ण सेवा काल में प्रतिनियुक्ति अवधि 10 वर्ष से अधिक हो गई हो वे आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- साक्षात्कार की तिथि तक आवेदक द्वारा आवेदित पद पर परीक्षा काल पूर्ण होना आवश्यक है।
- राईस के आवासीय विद्यालयों में कार्यरत रहते हुये यदि किसी शिक्षक/प्रधानाचार्य के विरुद्ध पूर्व में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो या प्रक्रियाधीन है ऐसे शिक्षक/प्रधानाचार्य पुनः प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- अभ्यर्थी अपने मूल पद/विषय पर ही आवेदन करे। पद विरुद्ध आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- प्रथमतः प्रतिनियुक्ति केवल एक वर्ष के लिए होगी, जिसमें पुनरावेदन की जा सकती है।
- बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला कार्मिक को प्राथमिकता दी जायेगी।



Signature valid
Digitally signed by Dr. Brijesh Kumar Agrawal
Designation: Director
Date: 2025.05.10 18:06:28 IST
Reason: Approved

11. विद्यालयवार विषयवार रिक्त पदों का विवरण एवं अन्य दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
12. प्रधानाचार्य पद हेतु साक्षात्कार दिनांक **27.05.2025 से 28.05.2025** तथा अन्य पदों हेतु दिनांक **02.06.2025 से 06.06.2025** तक 10.00 बजे साक्षात्कार हेतु निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर के सभागार भवन में अपने साथ मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
13. साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/उपस्थिति प्रमाण-पत्र देय नहीं होगा।
14. शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करने पश्चात एक माह की अवधि में पदस्थापन स्थल पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात कार्यग्रहण नहीं कराया जायेगा।
15. आवासीय विद्यालयों में चयनित कार्मिकों को जहां आवास सुविधा उपलब्ध है वहां निवास अनिवार्य होगा, ऐसी स्थिति में कार्मिक को मकान किराया भत्ता (HRA) देय नहीं होगा।
16. कार्मिक के खिलाफ वर्तमान में किसी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित/लम्बित नहीं होनी चाहिए।
17. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
18. रिक्त पदों पर विभाग में पदस्थापन के संबंध में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का हकदार नहीं होगा।
19. वेबसाइट पर बताए गए रिक्त पद अनुमानित हैं तथा उनमें कमी या वृद्धि संभावित है।
20. विशेष योग्यताधारी कार्मिकों को अनुभव में छूट दिये जाने एवं अन्य समस्त अधिकार निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सचिव राईस के पास सुरक्षित होंगे।
21. चयन से पूर्व अथवा पश्चात् कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
22. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है।
23. चयन संबंधी किसी भी प्रकरण पर कोई वाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय का अधिकार निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पदेन सचिव राईस को होगा।
24. विस्तृत जानकारी (Clarifications) हेतु फोन नं. 0141-2226666 पर प्रातः 9:30 से सांयकाल 6:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh
Kumar Agrawal
Designation: Director
Date: 2025.05.10 18:06:28 IST
Reason: Approved

